सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 329 राँची, मंगलवार, 27 वैशाख, 1938 (श०)
17 मई, 2016 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

16 मई, 2016

विषयः झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन के सम्बन्ध में ।

संख्या- **1638** -- पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरवर्त्ती झारखण्ड राज्य में तीन प्राधिकार यथा- 1. राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची 2. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर एवं 3. बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो रह गये एवं वर्ष 2006 में विभागीय अधिसूचना संख्या-116 दिनांक 13 जुलाई, 2006 द्वारा संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का सृजन किया गया।

2. इन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के पृथक स्वरूप और इनके कार्यो के आलोक में भविष्य में इन्हें पुनर्गठित कर किस प्रकार इनसे बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए, की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सम्प्रति इन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ कम है। इनके आंतरिक स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व इत्यादि नगण्य हैं। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में

चारों प्राधिकारों को एकीकृत करते हुए एक प्राधिकार गठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

3. अतः वर्तमान में गठित चारो प्राधिकारों यथाः- रियाडा, बियाडा, आयडा एवं स्पीयाडा को एकीकृत करने संबंधी संलेख ज्ञापांक-808 दिनांक 3 मई, 2016 को मंत्रिपारिषद् की दिनांक 3 मई, 2016 के बैठक में मद संख्या-06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चारो प्राधिकारों को एकीकृत करते हुए प्राधिकार का नाम ''झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार'' (Jharkhand Industrial Area Development Authority) किया जाता है ।

4. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को निम्न प्रकार से पुर्नगठित (restructure) किया जाएगा :-

4.1. एकीकृत प्राधिकार में पदेन अध्यक्ष मुख्य मंत्री होंगे। प्राधिकार में प्रबंध निदेषक का पद भारतीय प्रषासनिक सेवा के सचिव स्तर का होगा। इस पद पर पदस्थापन/नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

4.2. झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कुल पाँच निदेशक (1,2,3,4 एवं 5) होगा। निदेशक 1,2,3 सरकार के द्वारा नामित/मनोनित किये जाऐंगे तथा निदेशक-4 योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा नामित/मनोनित पदाधिकारी होंगे, वो अपर सचिव अथवा उनसे उच्च स्तरीय पदाधिकारी होंगे। उद्योग निदेशक एकीकृत प्राधिकार के निदेशक-5 होंगे।

i. एकीकृत प्राधिकार में सचिव के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन किया जाएगा, जो संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।

ii. एकीकृत प्राधिकार का मुख्यालय राँची में होगा।

iii. राँची, आदित्यपुर, बोकारो एवं दुमका स्थित वर्तमान प्राधिकारों के कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवर्तित हो जाएंगे एवं इनके प्रमुख मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।

iv. सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अंतर्गत एक-एक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो उप सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।

v. विस्तृत हितधारक परामर्ष एवं प्राधिकार स्तर पर जनप्रतिनिधित्व हेतु विधानसभा /संसद के प्रतिनिधियों का निदेषक के रुप में नियुक्ति की जाएगी तथा निदेषक मंडल में उनकी नियुक्ति होने पर उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।

vi. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीधे प्रबंध निदेषक सह उपाध्यक्ष झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (Jharkhand Industrial Area Development Authority) को प्रतिवेदित करेंगे। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

vii. वर्तमान कर्मचारियों एवं राज्य/कार्य हित में विभिन्न प्राधिकारों के वर्तमान कर्मचारी एवं कैडर का विलय एक एकीकृत कैडर में किया जाएगा।

5. वर्त्तमान में चारों प्राधिकारों को समाप्त किया जाता है तथा सभी चारों प्राधिकारों को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में नामित किया जाता है। पुर्नगठित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंध निदेशक को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जाना जाएगा जिनकी नियुक्ति/ पदस्थापन सरकार द्वारा की जाएगी, जब तक सरकार द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन नहीं की जाती है तब तक पूर्व से पदस्थापित प्रबंध निदेशक/सचिव, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

6. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार गठन के पश्चात वर्तमान प्रबंध निदेशक-सह- उपाध्यक्ष कर्मचारियों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव देंगे। पुर्नगठन होने तक वर्तमान कर्मचारी अपने स्थान पर कार्य करते रहेंगे।

7. सभी चारों प्राधिकारों की परिसंपत्तियां एवं दायित्व एकीकृत प्राधिकार में निहित होंगे।

8. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015 एवं राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015 से संबंधित क्रमशः संकल्प संख्या-3207 से 3210 दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 निर्गत है। सभी चारों प्राधिकारों का नियमन एक ही प्रकार का है। अतः आदित्यपुर, बोकारो, संथाल परगना एवं राँची औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार नियमन-2015 के स्थान पर झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन पढ़ा जाएगा। साथ ही उक्त संकल्प संख्या-3207 से 3210 दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या-3207 (A) से 3210 (A) दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 में निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्न रूप से संशोधित/परिमार्जित किया जाता है :-

i. संकल्प की कंडिका-1.2 में एक अतिरिक्त कंडिका 1.2(r) को जोड़ा जाता है 1.2 (r) Chief Executive Officer means Chief Executive Officer of the concerned Regional Office of the Authority

ii. Chapter-VI की कंडिका 6 ii (f), 10 (iv), 11, 23 (ii), 25(i) में अंकित Managing Director के स्थान पर Chief Executive Officer पढ़ा जाय।

iii. 15 (i), 15 (iii), 17, 18 (i), 18 (ii), 19 (i), 19 (ii), 20 (i) (d), 20 (ii), 20 (iii), 21 (ii), 21 (iv), 22(i), 23 (i), 23(v), 24 (i) में अंकित Managing Director of the Authorities के स्थान पर Chief Executive Officer of the Region पढ़ा जाय।

iv. संकल्प की कंडिका 20(ii) में अंकित "The Allottee on being dissatisfied with the order of the Authority may file an appeal to the Department of Industries, Government of Jharkhand within one month and the State Government shall, after due consideration dispose it of within two months from the date of receipt of the

appeal" को विलोपित करते हुए "The allottee/applicant on being dissatisfied with the order of the Chief Executive Officer may file an appeal to the Managing Director of the Authority within one month from the order of the Chief Executive Officer of the region. Managing Director shall, after due consideration, dispose of within two months from date of receipt of the appeal. The second appeal shall lie with Secretary/ Principal Secretary/Additional Chief Secretary of the Department of Industries, Mines and Geology, Govt. of Jharkhand and such appeal should be made within one month of the order of the Managing Director. Secretary/Principal Secretary/ Additional Chief Secretary, of the Department of Industries, Mines and Geology shall dispose of such application within three months from date of the receipt of the appeal." समाहित किया जाता है।

9. उक्त संशोधित नियमन झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2016 के रूप में जाना जाएगा, जो इस संकल्प का भाग होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

उदय प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव

Organizational Structure of

Jharkhand Industrial Area Development Authority

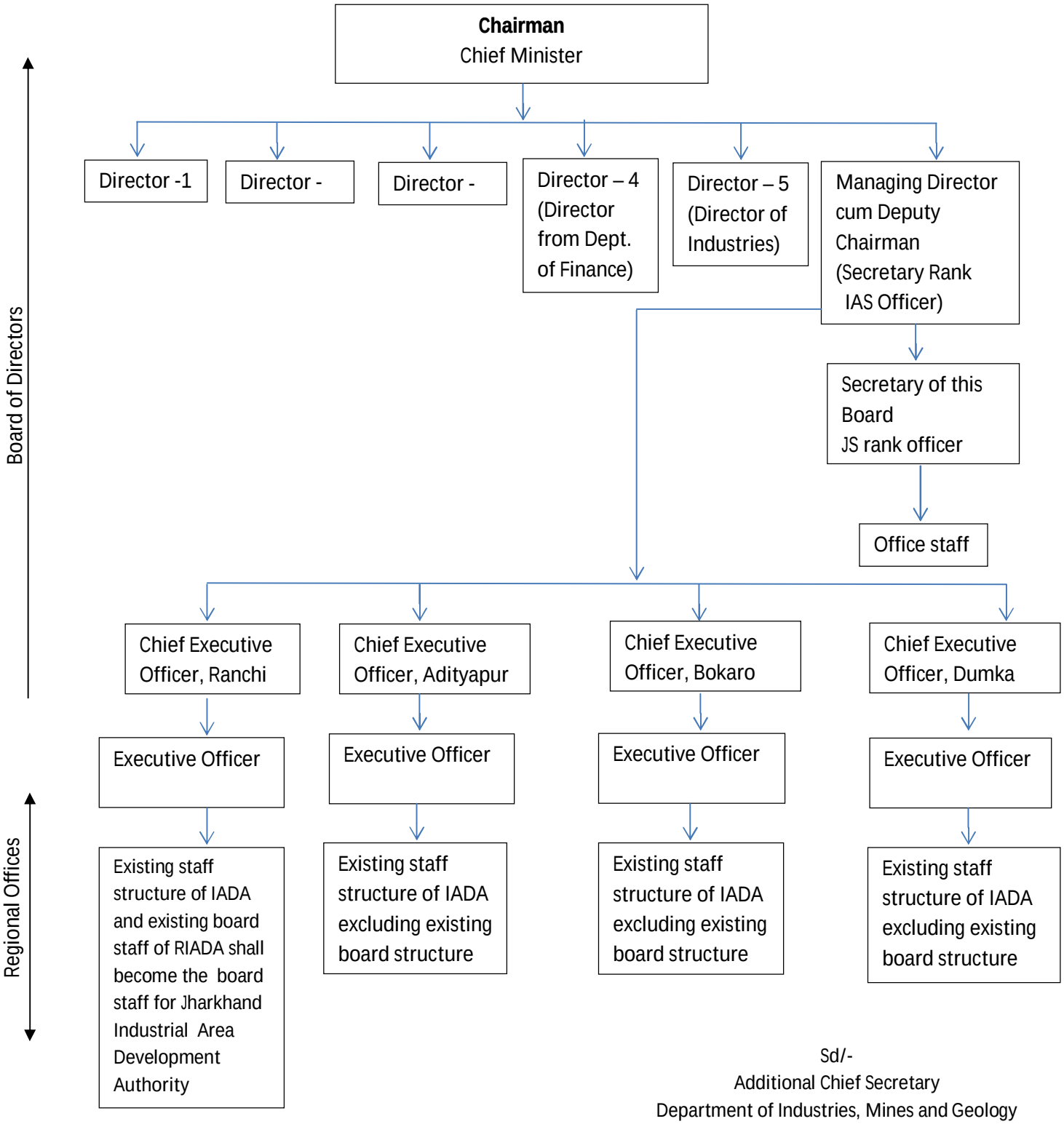

Sd/-
Additional Chief Secretary
Department of Industries, Mines and Geology
Jharkhand, Ranchi

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 329—50 ।